



61

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 रिजीजन

II/निगरानी/शिवपुरी/श्रु.रि/2017/3639

केवियट जलगत

श्यामदास राठी पुत्र श्री बल्लभदास राठी, आयु-60 वर्ष, व्यवसाय-खेती, निवासी-न्यू ब्लॉक, जल मंदिर रोड, शिवपुरी (म0प्र0)

.....आवेदक

बलराम सिंह कांडल प्र.
3-10-17

3-10-17

विरुद्ध

1. दामोदर दास राठी पुत्र श्री बल्लभदास राठी, निवासी - ग्राम गोपालपुर, तहसील व जिला शिवपुरी म0प्र0

-----अनावेदक

2. अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभाग शिवपुरी जिला शिवपुरी म0प्र0
3. नायब तहसीलदार, टप्पा सुभाषपुरा तहसील एवं शिवपुरी म0प्र0

(L.S. Dharecaji)
03/10/17
C.P. - 16-10-17

3-10-17 (रा.प्र.)
न्यायालय, ग्वालियर

रिजीजन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता विरुद्ध
आदेश दिनांक 20.09.2017 श्रीमान् अपर आयुक्त
ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 575/
2016-17/अपील में पारित।

श्रीमान् जी,

रिजीजनकर्ता की ओर से रिजीजन निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक / निगरानी / शिवपुरी / भूरा / 2017 / 3639

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09.11.17	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री अमित लाहोटी एवं श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। अनावेदक के अधिवक्ता श्री अशोक भार्गव उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। अधिवक्तागण द्वारा दोनों पक्षों के आधार कार्ड सत्यापित किया गया है।</p> <p>2-दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा होने के कारण प्रकरण को आगे चालाना नहीं चाहते हैं। अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p align="right">सदस्य</p>	<p><i>Rishi</i> (A. La. J. Adv.)</p> <p><i>Shivprasad</i></p> <p><i>Rishi</i> <i>Shivprasad</i></p> <p><i>Rishi</i></p>

m